रजिस्टर्ड नं०-एडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)।

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 12 जुलाई, 2014 ई० (आषाढ़ 21, 1936 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क--नगरपालिका परिषद, खण्ड-ख--नगर पंचायत, खण्ड-ग--निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ--जिला पंचायत।

खण्ड-घ--जिला पंचायत

13 जून, 2014 ई०

सं० 2293/23-2/2013-14--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (अधिनियम सं० 33, 1961) की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट-भट्ठा, टाइल्स, खपरा, चूना व सुर्खी भट्ठी आदि के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपविधि निर्मित की जाती है, जिसको आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा पुष्टि के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 243(2) के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी। इस उपविधि के प्रवाह होने के साल ही विज्ञप्ति संख्या 6286/21-88(1)-50 दिनांक 09 जुलाई, 1951 व संख्या 1085/23-37-91, दिनांक 12 अप्रैल, 1993 द्वारा स्वीकृत उ०प्र०, गजट प्रकाशन दिनांक 28 अगस्त, 1993 संशोधन स्वतः निरस्त हो जायेंगे। उपविधि प्रस्तर 8 व 13 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :

संशोधित उपविधि

धारा-8 प्रचलित उपनियम		धारा-8 संशोधित उपनियम
1	2	3
	रु०	रु०
अ--चिमनी ईंट-भाटा अनुज्ञा शुल्क	2,000.00	10,000.00
ब--बिना चिमनी के ईंट भट्ठा अनुज्ञा शुल्क	100.00	1,000.00
स--टाइल्स अनुज्ञा शुल्क	500.00	2,000.00
द--चूना व सुर्खी, इंजन की शक्ति द्वारा बनाने व फूँकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	100.00	2,000.00
य--चूना व सुर्खी बैल चक्की द्वारा बनाने व फूँकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	100.00	1,000.00

Attested
कर अधिकारी
जिला पंचायत--कानपुर नगर

धारा-13 प्रचलित उपनियम	धारा-13 संशोधित उपनियम
01 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर रु0 300.00 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा, उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्ठे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्य की जायेगी।	30 सितम्बर तक नवीनीकरण न कराने पर 01 अक्टूबर से रु0 50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। उसके उपरान्त ईंट-भट्ठे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रचलित दण्ड	संशोधित दण्ड
उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत यह निर्देश देती है, कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो अंकन रु0 250.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में अपराधी अपराध करता है, रु0 10.00 प्रतिदिन तक अर्थ-दण्ड हो सकेगा अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो तीन मास तक हो सकेगा।	उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत यह निर्देश देती है, कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु0 1000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में अपराधी अपराध करता रहा हो, रु0 50,00 प्रतिदिन तक अर्थ-दण्ड हो सकेगा अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया, जायेगा, जो तीन मास तक हो सकेगा।

13 जून, 2014 ई0

सं0 2294/23-2/2013-14—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत जिला पंचायत, कानपुर नगर अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र में बहने वाली नदियों में मछली पकड़ने एवं शिकार आदि के कार्यों को नियन्त्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से बनायी गयी उपविधि जो गजट नोटीफिकेशन संख्या 561/27-7-2001-02, दिनांक 09 दिसम्बर, 2002 द्वारा प्रचलन में है, की धारा 15 में आंशिक संशोधन किया जाता है, जो आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी। उपविधि के प्रस्तर-15 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :

Attested
कर अधिकारी
जिला पंचायत—कानपुर नगर

संशोधित उपविधि

धारा-15 प्रचलित उपनियम	धारा-15 संशोधित उपनियम
इस विषय में किसी ग्राम सभा, क्षेत्र समिति की यदि कोई उपविधियाँ होंगी तो वह इन उपविधियों के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जायेगी।	इस विषय में किसी ग्राम सभा, क्षेत्र समिति की यदि कोई उपविधियाँ होंगी तो वह इन उपविधियों के गजट में प्रकाशन की तिथि से निष्प्रभावी हो जायेगी।

18 जून, 2014 ई0

सं0 2353/23-3/2013-14—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239(1) एवं धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत कानपुर नगर ने (माडल उपविधि के अनुरूप) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मेलों, पशु बाजारों व कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी गयी है ... सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। पूर्व से प्रचलित उपविधि नवीन उपविधि लागू होने के पश्चात समाप्त मानी जायेगी।

नवीन पशु बाजार उपविधि

परिभाषायें—(1) ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दी गयी परिभाषा से है।

(2) पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है जहाँ जिला पंचायत किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था (जिसमें धार्मिक संस्था भी सम्मिलित है) शामिल है, द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में क्रय-विक्रय अथवा प्रदर्शनी हेतु पशु लाये जाते हैं।

(3) पशु का तात्पर्य सभी जाति या श्रेणी के पशुओं से है।

(4) रजिस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस व्यस्क व्यक्ति से है, जिसे लाइसेन्स अधिकारी ने जिला पंचायत द्वारा स्थापित पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों, पशु की बिक्री लिखने एवं शुल्क उगाही हेतु रसीद जारी करने के निमित्त नियुक्त किया है, निजी पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं प्रदर्शनियों में उसके संचालक अथवा प्रबन्धक की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेन्स अधिकारी नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जायेगा।

(5) दलाल का तात्पर्य उस व्यस्क व्यक्ति से है, जिसे जिला पंचायत के लाइसेसिंग अधिकारी द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों में दलाली कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।

(6) ठेकेदार का तात्पर्य भी उस व्यस्क व्यक्ति से है, जिसे जिला पंचायत में किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी हेतु ठेकों की शर्तों के अनुरूप नियत अवधि के लिए प्रबन्ध के निमित्त अधिकृत किया गया हो।

उपविधि—1

(1) प्रत्येक व्यक्ति को जिला पंचायत कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है, तो इन उपविधियों को पालन करना अनिवार्य होगा।

(2) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक अथवा उसके द्वारा नियुक्त मैनेजर या अधिकृत एजेन्ट के लिए बाजार में आये हुए व्यक्तियों के ठहरने, जानवरों हेतु चारा, पानी, सफाई तथा रोशनी आदि का प्रबन्ध व रख-रखाव स्वयं करना होगा।

(3) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धों का निरीक्षण समय-समय पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सफाई एवं बिक्री हेतु लाये गये खाद्य पदार्थों की जांच का कार्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। अधिकारियों द्वारा जांच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर करना संचालक, प्रबन्धक, मैनेजर अथवा एजेन्ट के लिए अनिवार्य होगा।

(4) एक से अधिक दिन तक चलने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में व्यापारियों एवं जनता की सुविधा हेतु शौचालयों एवं मूत्रालय की व्यवस्था व सफाई कराना, संचलक, मैनेजर, प्रबन्धक अथवा एजेन्ट के लिए अनिवार्य होगा।

(5) जिला पंचातय के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी, क्षेत्रीय अवर अभियन्ताओं, राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के अतिरिक्त अध्यक्ष जिला पंचायत अथवा लाइसेसिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है।

(6) नये पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।

(7) नये पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगवाने के लिए यह अनिवार्य होगा, कि प्रारम्भ करने की तिथि से एक माह (तीस दिन) के पूर्व जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त कर लें, लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

(8) किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं प्रदर्शनी के स्थल से 8 किलोमीटर के अन्दर किसी दूसरे पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ या पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम उपविधि के लागू होने से पूर्व से आयोजित हो रहे पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं प्रदर्शनियों पर प्रभावी नहीं होगा।

Attested
कर अधिकारी
जिला पंचायत—कानपुर नगर

(9) नये वर्ष का लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होगा, कि 30 अप्रैल तक लाइसेन्स शुल्क जमा कर लाइसेन्स बनवा लिया जाये अन्यथा रु0 300 प्रति माह अथवा उसके किसी भाग पर विलम्ब शुल्क जमा करके ही लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकेगा। लाइसेन्स नवीनीकरण में यह विधि अपनायी जायेगी, परन्तु लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र में लाइसेन्स संख्या, दिनांक तथा दिये गये लाइसेन्स शुल्क का विवरण अंकित करना होगा।

(10) जो पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पूर्व से लग रही है उसके संचालक को इन उपविधियों के प्रकाशन के एक माह के अन्दर लाइसेन्स बनवा लेना होगा अन्यथा उपविधि संख्या 9 के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा करने पर ही लाइसेन्स जारी किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जो पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पर लगाये गये विलम्ब शुल्क को किसी स्थिति तक कम करने अथवा समाप्त करने का विशेष अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा।

(11) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कानपुर नगर इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिकारी होगें।

उपविधि भाग–2

(1) कोइ भी व्यक्ति जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी जो पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में किसी भी पशु का क्रय-विक्रय रजिस्ट्रेशन कराये बिना नहीं कर सकेगा।

(2) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी अथवा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिला पंचायत के लाइसेसिंग अधिकारी की अनुमत से रु0 250 वार्षिक रजिस्ट्रेन शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त हो सकता है।

(3) (अ) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी का दायित्व होगा कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा पता सहित पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र के सथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे रजिस्ट्रेशन अधिकारी का पारिश्रमिक, स्वामी, संचायलक अथवा ठेकेदार की आपसी सहमति से तय होगा। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित दर से कम नहीं होगा।

(ब) जिला पंचायत द्वारा संचालित जो पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनी में नियुक्त जिला पंचायत के कर्मचारी को यदि रजिस्ट्रेशन अधिकारी का कार्य सौंपा जाता है तो वह एक रुपया प्रति पशु की दर से पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। ऐसे कर्मचारी को कोई दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

(4) रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री की रजिस्ट्री पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर ही करेगा।

(5) किसी भी पशु की रजिस्ट्री सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात नहीं की जायेगी।

(6) रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री पर रजिस्ट्री करते समय एक प्रतिशत क्रेता एवं एक प्रतिशत विक्रेता से पूरे मूल्य पर शुल्क वसूल करेगा जो किसी भी दशा में रु0 20 से कम नहीं होगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत को विशेष संकल्प द्वारा इन उपविधियों में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुल्क को स्थानीय परिस्थितियों के कारण बढ़ा देने अथवा कम कर देने का अधिकार होगा।

(7) निजी पशु मेला, पशु बाजारी, पशु पैठी एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धक द्वारा उपविधि के नियमों अथवा निरीक्षण के आदेशों का पालन न करने पर संचालक या प्रबन्धक को एक माह की नोटिस दी जायेगी और उसके उपरान्त भी प्रबन्ध ठीक नहीं होते हैं, तो लाइसेसिंग अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा उक्त पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं अथवा पशु प्रदर्शनी को नियत तिथि से अपने प्रबन्ध में लेने की अधिसूचना जारी की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है, कि उक्त अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी, किन्तु अध्यावधिक स्थिति से जिला पंचायत को विशेष संकल्प से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उक्त व्यवस्था में होने वाली आय में से जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धकीय व्यय घटाकर शेष धनराशि निजी प्रबन्ध अथवा संचालक को वापस की जायेगी।

(8) जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार को किसी भी दशा में उपविधियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं होगा।

(9) रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री कर प्रमाण-पत्र अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उत्तर प्रदेश रेगूलेशन के नियम 183(2) के अन्तर्गत पुलिस फार्म 51 में भरकर देगा तथा उसका प्रतिपरण अपने पास सुरक्षित रखेगा। यदि किसी पशु का दूध पीता बच्चा साथ में हो तो एक ही बिक्री प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा। एक प्रतिपरण पर एक ही पशु की रजिस्ट्री की जायेगी।

Attested

कर अधिकारी
जिला पंचायत–कानपुर नगर

(10) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक तथा प्रबन्धक के लिये यह अनिवार्य होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगूलेशन के नियम 183(2) में निर्धारित पुलिस फार्म 51 पुस्तकें जिला पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् प्राप्त करके पशुओं के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयोग में लायेगा और पुस्तकों के प्रतिपरण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करेगा। यह शर्त ठेकेदार के ऊपर ही यथावत् ही लागू होगी।

(11) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक या प्रबन्धक अथवा ठेकेदार के लिए आवश्यक होगा कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन तथा शर्तो की सूचियाँ रजिस्ट्रेशन के बैठने के स्थान पर चिपका दें।

(12) कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोग से पीड़ित पशु को नहीं ला सकेगा। एतदर्थ नियुक्ति जिला पंचायत के अधिकारी अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी के संचालक/प्रबन्धक को अधिकार होगा, कि संक्रामक रोग से पीड़ित किसी भी पशु को प्रवेश न करने दें अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

(13) कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था निर्धारित फीस देकर वर्णित अवधि के लिए जिला पंचायत के लाइसेन्स प्राप्त किये बिना पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन नहीं कर सकेगा।

(14) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिए निम्नांकित लाइसेन्स शुल्क देय होगा।

क्र0सं0	विवरण	रु0 वार्षिक
1	वर्ष में एक बार 01 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिए लाइसेन्स शुल्क	5,000
2	वर्ष में दो बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिए लाइसेन्स शुल्क	10,000
3	वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिए लगातार लगने वाले पशु मेले के लिए लाइसेन्स शुल्क	15,000
4	सप्ताह में एक बार लगने वाली पशु बाजार, पशु पैठ का लाइसेन्स शुल्क	2,000
5	सप्ताह में दो या अधिक बार लगने वाली पशु बाजार, पशु पैठ का लाइसेन्स शुल्क	4,000
6	वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार चलने वाली पशु प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क	2,000
7	वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक लगातार लगने वाली प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क	4,000

उपविधि भाग–3

(1) जिला पंचायत द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों क्रेता एवं विक्रेता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने हेतु चौधरी अथवा दलाल का लाइसेन्स दिया जायेगा। ऐसे चौधरी तथा दलाल निम्नांकित शर्तों के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करेंगे और कार्य करेंगे। कोई भी वयस्क एवं स्वस्थ्य मस्तिष्क का व्यक्ति ही चौधरी या दलाल का कार्य करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर सकेगा।

(2) रु0 250 वार्षिक शुलक अदा करने पर ही लाइसेन्स अधिकारी चौधरी तथा दलाल का लाइसेन्स दिया जायेगा।

(3) चौधरी या दलाल प्रत्येक पशु की बिक्री पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा। उक्त कमीशन क्रेता एवं विक्रेता द्वारा आधा-आधा दिया जायेगा।

क्र0सं0	विवरण	रुपये
1	पशु से रुपये 100 तक मूल्य पर	00.50
2	पशु से रुपये 1,000 तक मूल्य पर	2
3	पशु से रुपये 1,000 से अधिक मूल्य पर	5

Attested
कर अधिकारी
जिला पंचायत–कानपुर नगर

(4) जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कोई चौधरी/दलाल अपनी नियुक्ति के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी से 30 किलोमीटर के अन्दर अन्य किसी मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में चौधराहट या दलाली नहीं कर सकेगा। अन्यथा उसकी चौधराहट/दलाली लाइसेन्स अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

उपविधि भाग–4

(1) जिला पंचायत, बदायूँ द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान या उतारने के लिए अड्डों की व्यवस्था करेगी।

(2) निजी स्वामित्व में आने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के निकट सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशु के लदान एवं उतरान हेतु अड्डे की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा ही किया जायेगा।

(3) यातायात की सुरक्षा तथा मेले में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अड्डों के पास वाहनों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया जायेगा। पशुओं के लदान व उतरान के लिए अड्डा बनाया जायेगा।

(4) जिला पंचायत अड्डों की स्थापना एवं संचालन का कार्य स्वतः किसी एजेन्सी अथवा ठेकेदार के माध्यम से करेगी। निजी क्षेत्र के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में अड्डों की स्थापना ट्रैफिक व्यवस्था के संचालन के कार्य से पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के मालिक/स्वामी से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

(5) अड्डों पर लगान एवं उतरान शुल्क निम्न प्रकार देय होगा–

क्र०सं०	विवरण	शुल्क रु०
1	मेटाडोर या छोटी ट्राली	5
2	बड़ी ट्राली	10
3	छोटा ट्रक तथा मेटाडोर जिसमें पशु लदें हों	125
4	बड़ा ट्रक जिसमें पशु लदें हों	150
5	सामान भरा हुआ बैलगाड़ी या खडखडा	5
6	खाली बैलगाड़ी या खडखडा	2
7	सामान भरा ट्रैक्टर ट्राली मेटाडोर तथा छोटा ट्रक	25
8	सामान भरा हुआ ट्रक	50

Attested
कर अधिकारी
जिला पंचायत–कानपुर नगर

उपविधि भाग–5

(1) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोगो की रोकथाम तथा रोग ग्रसित पशुओं का प्रयोग निषिद्ध करने के लिए मेलों में आने वाले सभी मार्गों पर चैकिंग की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

(2) पशुओं की जांच के लिए जिला पंचायत अथवा जिले के पशुधन विभाग द्वारा निर्दिष्ट पशु चिकित्सा दल के प्रमाण-पत्र के पश्चात् ही पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

(3) जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में जिला पंचायत अथवा पशुधन विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर की स्थापना की जायेगी, जिसमें रोगी पशुओं के उपचार की व्यवस्था होगी।

(4) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत के निर्देशानुसार उचित व्यवस्था करनी होगी। यदि वह ऐसी व्यवस्था नहीं करता है तो लाइसेसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जिला पंचायत के ओर से ऐसी व्यवस्था कर सकता है और उस दशा में होने वाले व्यय को सम्बन्धित निजी बाजार मालिक से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जायेगा।

(5) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क देय होगा–

प्रवेश शुल्क–

क्र0सं0	विवरण	शुल्क
1	गाय का बछड़ा, भैंस का पाड़ा/पड़िया एवं घोड़ी का बच्चा जिसकी आयु एक वर्ष तक हो	1 प्रति पशु
2	बकरा, बकरी, भेड़	2 प्रति पशु
3	गाय, बैल, भैंस, भैंसा, घोड़ा, घोड़ी	2 प्रति पशु
4	ऊँट एवं हाथी	5 प्रति पशु

(6) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को स्थापित या संचालित करने वाले प्रबंधक अथवा लाइसेन्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति या जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार का दायित्व होगा कि–

1– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी स्थल स्वच्छ रहे।

2–पशुओं के चारे, पानी की उचित व्यवस्था करायें।

3– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी में आने वाले व्यापारियों तथा ग्राहकों के लिए स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करायें।

4– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी में पशुओं को रुकने तथा चारा खाने हेतु स्थल का प्रबन्ध करायें।

5–व्यापारियों को ठहरने के लिए भी समुचित प्रबन्ध करायें।

6– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी स्थल पर प्रकाश एवं सफाई की समुचित व्यवस्था करायें।

7–संक्रामक रोगों से बचने के लिए बिलीचिंग पाउडर एवं डी0डी0टी0 का समुचित छिड़काव करायें।

8–जिला पंचायत के अधिकारियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा मानव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामियों को करना अनिवार्य होगा।

उपविधि भाग–6

(1) जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में सुविधा के समस्त प्रबन्ध अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, पंचायत के निर्देशानुसार किया जायेगा।

(2) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में आयी हुई दुकानों आदि की पैठ की दरें अन्य शर्तें तहबाजारी नियंत्रण उपविधि में निर्धारित नियमों के अनुसार की जायेगी।

(3) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालित करने अथवा प्रवेश शुल्क की वसूली के कार्य को सम्पादित करने हेतु यदि जिला पंचायत द्वारा ठेका दिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे ठेकों की नीलामी एक समिति द्वारा की जायेगी जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी होंगे और कार्य अधिकारी व वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे। यह समिति तहबाजारी नियंत्रण उपविधि के नियम 5(1) से (7) तक के उपनियमों का पालन भी इन ठेकों में करा देगी।

(4) जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में दुकानों के लगाने का स्थान अपर मुख्य अधिकरी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की देख-रेख में निश्चित किया जायेगा।

(5) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में लगने वाली दुकानों, पशुओं के ठहरने आदि का स्थान लाइसेन्स आवेदन प्रार्थना-पत्र के साथ में संलग्न मानचित्र में दशाये गये ढंग से निर्धारित किया जायेगा। लाइसेन्स अधिकारी की लिखित अनुमति से निजी स्वामी आवश्यकता अनुसार स्थान व व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकता है।

(6) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु स्वामी ही लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र के साथ पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल, क्षेत्रफल तथा चौहद्दी का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए खसरा खतौनी की नकल के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उस पर विचार किया जायेगा।

कर अधिकारी
...पंचायत–कानपुर नगर

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत कानपुर नगर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपनियमों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50 प्रतिदिन तक दण्ड लिया जा सकेगा।

18 जून, 2014 ई0

सं0 2354/23-3-2013-14–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 1, 3 के साथ धारा 239 के साथ पठित उपधारा (2) (ङ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में कारखानों एवं फैक्ट्रियों को नियंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति संख्या 732-734/23-36, 93-94 दिनांक 25 नवम्बर, 1994 व विज्ञप्ति संख्या 323-23-36, 93-94 दिनांक 9 नवम्बर, 2001 प्रस्तर संख्या 2(ज) व 3 में निम्न संशोधन किया गया है–

उपविधियाँ

2(ज) लाइसेन्स अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। लाइसेन्स का नवीनीकरण समय से न कराने पर 50 रुपये प्रतिदिन विलम्बतम शुल्क देकर लाइसेन्स का नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण की फीस वही होगी जो लाइसेन्स फीस की धनराशि होगी।

लागू होने वाले उपनियम

3–इन उपविधियों में फैक्ट्री शब्द का उन सभी प्रकार के सोभकर व्यवसाय कारखाना/फैक्ट्री की नियंत्रित तथा विनियमित करने के उद्देश्य से जो व्यवसायिक दृष्टि आदि से बिजली, स्ट्रीम, तेल, पेट्रोल या अन्य किसी यांत्रिक तरीके से चलते हों अथवा बिना ऑयल इंजन तथा विद्युत् मोटरों से संचालित अन्य प्रकार की फैक्ट्रियों,–मिलों, उद्योगों व अन्य ऐसी संस्थाओं को निम्नवत् लाइसेन्स शुल्क अदा करने पर ही लाइसेन्स प्राप्त हो सकेगा–

क्र0 सं0	व्यवसाय/दुकान का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	ह्यूम पाइप अथवा स्टील रोलिंग पाइप इण्डिया	7,000.00	25,000.00
2	सरिया बनाने का कारखाना	7,000.00	20,000.00
3	पंखा/सिलाई मशीन की फैक्ट्री	7,000.00	10,000.00
4	जूट, सन, प्लास्टिक, नाइलोन	7,000.00	10,000.00
5	गैस भरने की फैक्ट्री	7,000.00	10,000.00
6	आइस फैक्ट्री	5,000.00	10,000.00
7	कोल्ड स्टोरेज	7,000.00	20,000.00
8	दवा की फैक्ट्री (केमिकल आदि)	7,000.00	15,000.00
9	खाण्डसारी अथवा छोटे पैमाने का चीनी कारखाना	7,000.00	15,000.00
10	खाद्य तेल अथवा दाल मिल	7,000.00	20,000.00
11	राइस मिल अथवा फ्लोर मिल	5,000.00	15,000.00
12	इलेक्ट्रानिक उद्योग टी0वी0, फ्रिज आदि उपकरण की फैक्ट्री	7,000.00	20,000.00

कर अधिकारी
जिला पंचायत–कानपुर नगर

1	2	3	4
		रु0	रु0
13	साइकिल डिब्बा, ताला, बाल्टियाँ आदि बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	20,000.00
14	सीमेन्ट फैक्ट्री	7,000.00	25,000.00
15	पेन्ट बनाने का कारखाना	5,000.00	15,000.00
16	स्कूटर मोपेड, मोटर साइकिल बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	25,000.00
17	घी तेल व डालडा बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	25,000.00
18	निषिद्ध लकड़ी को छोड़कर कोयला भट्ठी	2,000.00	5,000.00
19	लोहा ढालने की फैक्ट्री	7,000.00	25,000.00
20	सब्जी, मसाला बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	15,000.00
21	आटो मोबाइल फैक्ट्री	7,000.00	25,000.00
22	साइकिल बनाने का कारखाना	7,000.00	25,000.00
23	साइकिल पार्ट्स बनानें की फैक्ट्री	5,000.00	10,000.00
24	विस्कुट/खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	15,000.00
25	सन्दल मिल	5,000.00	10,000.00
26	नील बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	15,000.00
27	फायर ब्रिक्स बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	15,000.00
28	रबर की वस्तुयें बनानें की फैक्ट्री	7,000.00	15,000.00
29	पेन्ट का डायर्स बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	15,000.00
30	अल्युमुनियम के बर्तन बनाने, निकल करने की फैक्ट्री	7,000.00	15,000.00
31	स्याही/इंक बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
32	जनरेटर बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	25,000.00
33	कम्प्यूटी/कम्प्यूटर पेपर बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	15,000.00
34	थार्मोकोल बनाने की फैक्ट्री	5,000.00	10,000.00
35	दूध डेरी	7,000.00	15,000.00
36	केमिकल फैक्ट्री	7,000.00	25,000.00
37	साबुन फैक्ट्री/वाशिंग पाउडर की फैक्ट्री	7,000.00	25,000.00

Attested

कर अधिकारी
जिला पंचायत–कानपुर नगर

1	2	3	4
		रु0	रु0
38	टेरीकॉट/सूती कपड़ा बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	25,000.00
39	कत्था बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	25,000.00
40	फोन बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	15,000.00
41	चमड़ा फैक्ट्री	7,000.00	20,000.00
42	बैट्री, बैट्री पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री	5,000.00	10,000.00
43	निवाड़ बनाने की फैक्ट्री	5,000.00	15,000.00
44	साइलेन्सर बनाने की फैक्ट्री	5,000.00	15,000.00
45	टायरों का रिट्रेडिंग कारखाना	5,000.00	10,000.00
46	पालेसर मशीन	2,000.00	3,000.00
47	मार्बल/टायल्स फैक्ट्री	7,000.00	15,000.00
48	स्कूटर पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री	5,000.00	15,000.00
49	हैण्ड मोल्डिंग (प्लास्टिक)	2,000.00	5,000.00
50	बिजली वायर बनाने की फैक्ट्री	5,000.00	10,000.00
51	कागज या कार्बन पेपर बनाने की फैक्ट्री	5,000.00	10,000.00
52	सर्विसिंग एजेन्सी (ट्रक, बस तथा मोटर वाहन आदि)	3,000.00	10,000.00
53	मिनिरल वाटर फैक्ट्री	5,000.00	10,000.00
54	होजरी एवं रेडीमेड कारखाना	3,000.00	25,000.00
55	कृषि यंत्र बनाने का कारखाना	3,000.00	10,000.00
56	नमक बनाने की फैक्ट्री	1,000.00	5,000.00
57	पोल्टी फार्म		25,000.00
58	इण्टरलाकिंग टायल्स फैक्ट्री		10,000.00
59	फिटकरी फैक्ट्री		5,000.00
60	पोल्टी फार्म (मिनी)		5,000.00
61	सर्विस सेन्टर (सभी प्रकार के) मोटर साइकिल, स्कूटर आदि		2,000.00
62	गत्ता फैक्ट्री		10,000.00
63	आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री		25,000.00
64	अन्य बड़े पैमाने के कारखाने/ फैक्ट्री जिनकी लागत 5 लाख से अधिक	7,000.00	20,000.00
65	अन्य फैक्ट्री/कारखाने जो इस विवरण में नहीं हैं, जिनकी लागत 5 लाख से कम	4,000.00	12,000.00

Attested
कर अधिकारी
...नगर निगम, कानपुर नगर

18 जून, 2014 ई0

सं0 2356/23-3-2013-14–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को नियंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति संख्या 0800/23-3-1974, दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 द्वारा पूर्व में स्वीकृत तथा विज्ञप्ति संख्या 3363/23-45-ए-85, दिनांक 26 अप्रैल, 1986, विज्ञप्ति संख्या 0.[illegible]-131/23-35-93-34, दिनांक 25 नवम्बर, 1994 व विज्ञप्ति संख्या 322/23-35-93-94, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 ई0 के द्वारा संशोधित उपविधि के प्रस्तर-9 में निम्नवत् संशोधन किया गया है–

संशोधित उपविधि

9–इन उपविधियों के अन्तर्गत व्यवसाय दुकानें संस्थान आदि वह होंगे जो इन उपविधियों के अन्त में सूची में दिये गये हैं।

(अनुसूची)

उपविधि संख्या 9 में उल्लिखित दुकानें, व्यवसाय आदि की सूची–

क्र0 सं0	व्यवसाय/दुकान का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	कपड़ा की अस्थायी दुकान	100.00	300.00
2	कपड़ा की स्थायी दुकान	300.00	1,000.00
3	परचून की दुकान फुटकर	100.00	300.00
4	हलवाई की दुकान	100.00	300.00
5	होटल/ढाबा	1,000.00	2,000.00
6	ईमारती लोहे की दुकान	300.00	1,000.00
7	बिना आरा मशीन लकड़ी की दुकान	300.00	1,000.00
8	लकड़ी आरा मशीन सहित दुकान	500.00	2,000.00
9	बांस बल्ली की दुकान	300.00,	500.00
10	चमड़े के जूते चप्पल आदि की दुकान	200.00	500.00
11	रबड़ प्लास्टिक एवं कपड़े के जूते चप्पल की दुकान	100.00	500.00
12	गल्ले की दुकान (आढ़त)	1,000.00	2,000.00
13	गल्ले का व्यवसाय (खरीद–फरोख्त)	300.00	500.00
14	फट्टा डालकर गल्ले का व्यवसाय	100.00	200.00
15	किराना की स्थायी दुकान	300.00	1,000.00
16	किराना की अस्थायी दुकान	300.00	500.00
17	बर्तन की दुकान (पीतल, कस्कुट, स्टील आदि की दुकान)	300.00	1,000.00
18	अल्युमीनियम की दुकान	500.00	1,000.00
19	कपड़े की थोक दुकान	500.00	2,000.00
20	सोने–चाँदी आभूषण की दुकान	500.00	2,000.00
21	सोने–चाँदी (आभूषण बनाने की दुकान) (सोनारी का कार्य)	300.00	1,000.00

कर अधिकारी
[illegible] पंचायत–कानपुर नगर

1	2	3	4
		रु०	रु०
23	डाक्टर, वैद्य, मेडिकल स्टोर दवाइयों की दुकान	300.00	1,000.00
24	चाय पकौड़ी, कम्पट, बिस्कुट, बीड़ी, सिगरेट आदि की दुकान	100.00	300.00
25	लकड़ी के टाल की दुकान	500.00	1,000.00
26	कोयला की दुकान	200.00	500.00
27	पेट्रोल या डीज़ल पम्प	2,000.00	5,000.00
28	पेट्रोल या डीजल, डीलर	1,000.00	3,000.00
29	डीजल या मिट्टी के तेल की दुकान	500.00	2,000.00
30	सायकिल या ट्राइसिकल के पुर्जे की दुकान	500.00	1,000.00
31	सायकिल मरम्मत की दुकान	100.00	300.00
32	जनरल मर्चेन्ट, होजरी रेडीमेड कपड़े की दुकान	300.00	1,000.00
33	बिसातखाना की दुकान	100.00	300.00
34	कृषि सम्बन्धी मशीनरी की दुकान	500.00	1,000.00
35	बिजली की मोटर बल्ब, तार, लैम्प आदि की दुकान जहाँ पर बिजली से सम्बन्धित सामान बेचे जाते हों	300.00	500.00
36	घी व तेल की दुकान	200.00	500.00
37	घड़ी, चश्मा, स्टोप, पेट्रोमेक्स, लाउड स्पीकर आदि की सामान एंव मरम्मत की दुकान	200.00	500.00
38	गैस या बिजली से वेल्डिंग की दुकान	200.00	500.00
39	ट्रक, टैम्पो, टैंकर, कार के टायर ट्यूब की रिट्रेडिंग की दुकान	500.00	1,000.00
40	हेयर कटिंग सैलून की दुकान	50.00	200.00
41	फोटो ग्राफर या फोटो स्टेट कापी की दुकान	200.00	500.00
42	फल की दुकान	100.00	300.00
43	साग सब्जी की दुकान	50.00	200.00
44	टेलरिंग की दुकान	100.00	300.00
45	ट्रक, ट्रैक्टर, टैम्पों, लारी, मोटर, कार स्कूटर, मोटर साइकिल आदि की मरम्मत की दुकान	300.00	1,000.00
46	रासायनिक खाद की एजेन्सी	1,000.00	2,000.00
47	मौरंग, गिट्टी, बालू, चूना पत्थर, सीमेन्ट का सामान, सेनेटरी पेंटिंग के कार्य में आने वाले सामान की दुकान	500.00	1,500.00
48	सीमेन्ट एजेन्सी	1,000.00	2,000.00
49	रासायनिक खाद की दुकान	300.00	1,000.00
50	खली चूनी, भूसी की दुकान	100.00	500.00

Attested
कर अधिकारी
नगर पंचायत–कानपुर नगर

1	2	3	4
		रु0	रु0
51	टेन्ट, शामियाना क्राकरी के बर्तन मेज कुर्सी आदि किराये पर उठाने की दुकान	500.00	1,000.00
52	गैस बत्ती, लाउडस्पीकर, जेनरेटर आदि किराये पर उठाने की दुकान	300.00	1,000.00
53	बैण्ड बाजा की दुकान	100.00	500.00
54	गुड़ की दुकान	100.00	300.00
55	दूध, खोया की दुकान	100.00	300.00
56	कुल्फी, आइसक्रीम, बर्फ, आइसक्रीम की दुकान	100.00	500.00
57	लस्सी, शरबत व शीतल पेय जल की दुकान	100.00	500.00
58	आतिशबाजी की दुकान	300.00	1,000.00
59	लाण्ड्री	100.00	500.00
60	लोहे की दुकान जिसमें ताला, चाबी, रेती, नट बोल्ट, शिटकनी, जंजीर, कील, कॉटा, खुरपी, फडुवा आदि बेचने की दुकान	300.00	1,000.00
61	फेरी की दुकान (कपड़ा फेरी आदि)	100.00	300.00
62	टीन के बाक्स, टीन की चादरें, कढ़ाई, बाल्टी आदि की दुकान	500.00	1,000.00
63	रेडियो, ट्राजिस्टर, टी0वी0 मरम्मत की दुकान	100.00	500.00
64	रेडियो, ट्राजिस्टर, टी0वी0 बिक्री की दुकान	200.00	1,500.00
65	सभी प्रकार के बीज की दुकान	100.00	500.00
66	लकडी फर्नीचर की दुकान	300.00	1,000.00
67	गॉजा, भॉग, ताडी की दुकान	1,000.00	3,000.00
68	शराब की दुकान देशी/विदेशी	2,000.00	5,000.00
69	क्राकरी की दुकान	100.00	500.00
70	रस्सी, बॉन, सुतली, निवाड, बोरा, मूॅज, शार पट्टी की दुकान	200.00	1,000.00
71	खानी, पीनी, तम्बाकू की दुकान	100.00	300.00
72	खड़खड़ा, इक्का, तॉगा गाड़ी मरम्मत की दुकान	200.00	300.00
73	कपड़ा रंगाई, छपाई की दुकान	200.00	500.00
74	प्रिंटिंग प्रेस	300.00	1,000.00
75	लोहारी की दुकान (जिसमें सरिया, एंगिल आदि की दुकान	50.00	2,500.00
76	सीमेण्ट बेचने की दुकान	500.00	1,500.00
77	सिनेमा घर	5,000.00	10,000.00
78	मोबिल ऑयल की दुकान	250.00	1,000.00
79	ट्रैक्टर एजेन्सी		10,000.00

Attested
कर अधिकारी
जिला पंचायत–कानपुर नगर

1	2	3	
		रु0	रु0
80	मोटर साइकिल एजेन्सी		10,000.00
81	टायर एजेन्सी		10,000.00
82	गेस्ट हाउस		10,000.00
83	मोबाइल शाप		1,000.00
84	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र व मरम्मत आदि की दुकान		1,000.00
85	मोबाइल टावर		10,000.00
86	खराद मशीन (लोहे की मशीन)		1,000.00
87	थ्रेसर बनाने का कारखाना व एजेन्सी		10,000.00
88	धर्मकांटा		5,000.00
89	नर्सिंग होम		10,000.00
90	दुग्ध उत्पादन केन्द्र, डेयरी		5,000.00
91	इंजीनियरिंग कॉलेज (एम0बी0ए0, एम0सी0ए0 व बीटेक आदि)		5,000.00
92	गैस एजेन्सी		50,000.00
93	फल/सब्जी आढ़त		5,000.00
94	ट्रैवल्स एजेन्सी		2,500.00
95	टीन के बक्से, चादरें, बाल्टी आदि का कारखाना		1,000.00
96	खड़खड़ा, इक्का, तॉगा गाड़ी बनाने की दुकान/कारखाना		5,000.00
97	पॉलीटेक्निक कॉलेज		5,000.00
98	इण्टर मीडिएट कालेज		25,000.00
99	सामान्य प्राइवेट स्कूल		10,000.00
100	डिग्री कालेज		5,000.00
101	मेडिकल कालेज		25,000.00
102	मोटर कार, जीप, ट्रक, मेटाडोर शोरूम		50,000.00
103	बीयर की दुकान		25,000.00
104	अन्य दुकानें, जो इस वर्गीकरण में नहीं हैं		2,500.00
		100.00	500.00

Attested
कर अधिकारी
जिला पंचायत–कानपुर नगर

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

पी0एस0यू0पी0–15 हिन्दी गजट–भाग 3–2014 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।